2010:CGHC:1321:DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं
माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 268 / 2003

देवनाथ व अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

सही/-
आर.एल.झंवर

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 17/02/2010 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

2010:CGHC:1321:DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 268/2003

युगल पीठः माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता
(अभिरक्षा में) :

1. **देवनाथ साहू**, पिता परगन साहू, उम्र 39 वर्ष
2. **परगन साहू**, पिता पिताम्बर साहू, उम्र 73 वर्ष *(मृत — नाम विलोपित)*
3. **मंदाकिनी बाई**, देवनाथ साहू की पत्नी, उम्र 33 वर्ष

सभी अपीलकर्ता/आरोपी ग्राम नवागांव (तेमारी), थाना व तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के निवासी है।

बनाम

उत्तरवादी: **छत्तीसगढ़ राज्य**, थाना मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

2010:CGHC:1321:DB

(फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित: -

श्री पराग कोटेचा — अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार झा — राज्य पक्ष के अतिरिक्त लोक अभियोजक

निर्णय

(दिनांक 7 फरवरी, 2010 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा दिया गया :

1. इस अपील में चुनौती अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 231/02 में दिनांक 6.1.2003 को दिए गए दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत माननीय विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को साझा आशय में चैतराम की हत्या के समान आपराधिक मानव वध का दोषी मानते हुए, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और क्रमशः आजीवन कारावास और ₹1000/- के जुर्माने की सज़ा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2010:CGHC:1321:DB

2. निर्णय को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि हत्या किए जाने के कोई भी साक्ष्य/प्रमाण न होने पर भी, अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई है, और इस प्रकार अवैधानिकता की है।

3. अभियोजन के मामले का संक्षेप यह है कि 6.11.2001 की सुबह करीब 6 बजे, अभियुक्त देवनाथ ने मृतक को अपने घर में बीड़ी पीने के लिए बुलाया, और जब चैतराम उसके घर पहुँचा, तब सभी अभियुक्तों ने उस पर कुल्हाड़ी, लाठी और हंसिया से हमला कर दिया। मुन्नीबाई और राजाराम ने यह घटना देखी और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन अंततः अभियुक्तों ने चैतराम की हत्या कर दी। मलिक राम (अ.सा.-1) उसी दिन थाना गया और प्र.पी./1 के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई। मर्ग प्र.पी./29 के रूप में दर्ज किया गया। अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर गए और गवाहों को तलब करने के बाद (प्र.पी./2), मृतक के शव का पंचनामा प्र.पी./3 के अनुसार तैयार किया। मृतक का शव-परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली भेजा गया, जैसा कि प्र.पी./22 में है। शव-परीक्षण करने वाले डॉ.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1321:DB

एस.के. बघेल (अ.सा.-6) ने प्र.पी./21 के अनुसार किया और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित लक्षण व चोटें पाईं।

i. चेहरे और शरीर पर खून लगा हुआ था। बाईं कमर पर कई चीरे के घाव पाए गए।

ii. माथे पर 5 सेमी × 1.5 सेमी × 1 सेमी का चीराघाव।

iii. माथे के बाईं ओर 4 सेमी × 1 सेमी × 1 सेमी का चीरा घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv. ऑसिपिट (सिर के पीछे के हिस्से) के आधार के दाईं ओर 5 सेमी × 2 सेमी मांसपेशी की गहराई तक का चीरा घाव। ऑसिपिटल हड्डी टूटी हुई थी और टूटे हुए स्थान से मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल रहा था।

v. दाहिने कंधे पर 4 सेमी × 0.5 सेमी × 0.5 सेमी का चीरा घाव तथा दाहिने कंधे पर 4 सेमी की रेखीय खरोंच।

vi. बाएँ कान के पीछे टेम्पोरल क्षेत्र में 3 सेमी × 1 सेमी × मांसपेशी-गहराई तक का चीरा घाव।

vii. सिर के मध्य भाग पर 3 सेमी × 1 सेमी × मांसपेशी-गहराई तक का चीरा घाव।

2010:CGHC:1321:DB

viii. कई चीरा घाव, जिनकी गहराई हड्डी तक थी, और बाएँ रेडियल हड्डी (कलाई की हड्डी) के निचले सिरे में फ्रैक्चर।

ix. सभी चोटें मृत्यु-पूर्व थीं। मृत्यु का कारण आंतरिक रक्तस्राव था, और मृत्यु का स्वरूप हत्यानुमा था।

4. रक्त से सनी मिट्टी और साधारण मिट्टी को घटनास्थल से प्र.पी./17 के तहत जब्त किया गया। एक टेरिकॉट गमछा और चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े भी घटनास्थल से प्र.पी./18 के तहत बरामद किए गए। जाँच अधिकारी ने स्थल नक्शा प्र.पी./10 के अनुसार तैयार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाँच के दौरान आरोपी मन्दाकिनी को हिरासत में लिया गया। उसने हंसिया (**sickle**) के बारे में खुलासा बयान प्र.पी./4 दिया, जिसके आधार पर प्र.पी./5 के तहत हंसिया बरामद किया गया।

आरोपी देवनाथ ने कुल्हाड़ी के बारे में खुलासा बयान प्र.पी./6 दिया, जिसके आधार पर प्र.पी./7 में कुल्हाड़ी बरामद हुई।

रक्तरंजित कुर्ता आरोपी देवनाथ से प्र.पी./8 के तहत बरामद किया गया।

मृतक अभियुक्त परगन साहू से एक लाठी प्र.पी./9 के तहत बरामद हुई।

आरोपियों को प्र.पी./11 से प्र.पी./13 के तहत हिरासत में लिया गया।

2010:CGHC:1321:DB

एक रक्त से सनी साड़ी आरोपी मन्दाकिनी से प्र.पी./14 के तहत बरामद हुई। मृतक अभियुक्त परगन से आधा कुर्ता प्र.पी./15 के तहत बरामद किया गया।

पोस्टमॉर्टम के बाद मृतक के सील किए गए वस्त्र प्र.पी./16 के तहत जब्त किए गए।पटवारी ने भी स्थल नक्शा प्र.पी./19 के अनुसार तैयार किया। जब्त किए गए सामानों को रासायनिक विश्लेषण के लिए प्र.पी./30 के तहत भेजा गया और हंसिया, लाठी तथा मृतक परगन की शर्ट पर खून की मौजूदगी प्र.पी./30**A** के तहत पुष्ट हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए (जिसे आगे **"**संहिता**"** कहा जाएगा)। जाँच पूरी होने के बाद, आरोपपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसने बाद में यह मामला सत्र न्यायालय, बिलासपुर को सौंप दिया, जहाँ से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली को यह मामला परीक्षण हेतु स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

6. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं का दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बयान भी संहिता की

2010:CGHC:1321:DB

धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी परिस्थितियों को नकारते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और आरोपों को झूठा बताया।

7. दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को पूर्व वर्णित अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री पाराग कोटेचा और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री राकेश कुमार झा को सुना। हमने चुनौती दिए गए निर्णय और अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को हर संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया है। चश्मदीद गवाहों, जैसे कि, मलिक राम (अ.सा-1), जनक राम साहू (अ.सा.-4), राजाराम (अ.सा-5) और मुन्नी बाई (अ.सा-7) का साक्ष्य, जो कि हितबद्ध गवाह हैं, विश्वास उत्पन्न नहीं करता है, भरोसेमंद नहीं है, और विशेष रूप से जघन्य

2010:CGHC:1321:DB

अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं को दोषसिद्धि देने हेतु उन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले का अवलंब लिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसके विरुद्ध आरोप उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हो जाते। केवल अपराध की जघन्य या क्रूर प्रकृति ही अभियुक्त को दण्डित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र संदेह, भले ही वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने चुनौती दिए गए निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह — मलिक राम (अ.सा.-1), जनक राम साहू (अ.सा.-4), राजाराम (अ.सा.-5) और मुन्नी बाई (अ.सा.-7) — की गवाही अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।उपरोक्त गवाहों ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि अपीलकर्ताओं ने ही मृतक चैतराम को अपने घर बुलाया था और फिर खतरनाक हथियारों से बेरहमी से उस पर हमला किया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।

2010:CGHC:1321:DB

11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने हेतु, हमने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों की जाँच की है। वर्तमान मामले में, मृत्यु एंटी-मॉर्टम घावों (मृत्यु से पहले लगी चोटों) के परिणामस्वरूप हुई हत्या थी — इस तथ्य को अपीलकर्ताओं ने गंभीर रूप से विरोध नहीं किया है। दूसरी ओर, डॉ. एस. के. बघेल (अ.सा.-6) की गवाही और शव-परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी./21 से भी यह स्थापित होता है कि मृतक के सिर और अंगों पर कई चीरा-युक्त घाव थे, जिनमें ऑक्सिपिटल बोन और रेडियल बोन का फ्रैक्चर भी शामिल था, और मृत्यु प्रकृति में मानव-वध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहाँ तक अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की इस अपराध में संलिप्तता का प्रश्न है, उनकी दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों — मलिक राम (अ.सा.-1), नारायण सिंह (अ.सा.-3), जनक राम साहू (अ.सा.-4), राजाराम (अ.सा.-5) और मुन्नी बाई (अ.सा.-7) — की प्रत्यक्ष गवाही पर आधारित है। मुन्नी बाई (अ.सा.-7), जो मृतक चैतराम की पत्नी हैं, ने अपने बयान में कहा कि घटना के समय सुबह लगभग 7 बजे वह अपने पति के साथ खेत से लौट रही थीं। जब वे अपीलकर्ताओं के घर के सामने से गुजर रहे थे, तब अपीलकर्ता देवनाथ ने उनके पति चैतराम को बीड़ी पीने के लिए बुलाया।

2010:CGHC:1321:DB

जब उनका पति बीड़ी पीने के लिए बैठा, तभी अपीलकर्ता देवनाथ ने कुल्हाड़ी से उसके पति पर हमला किया, मृतक अपीलकर्ता परगन ने लाठी से उसके पति को मारा, और अपीलकर्ता मन्दाकिनी ने हंसिया से उसके पति पर हमला किया।वह रोने लगीं, और तभी जनक वहाँ की ओर आ रहा था। उन्होंने जनक से मदद मांगी और फिर अपने घर भागकर अपनी नातिन को खेत की ओर भेजा, जहाँ मलिक राम (अ.सा.-1) मौजूद था। थोड़ी देर बाद उनकी नातिन ने आकर बताया कि मलिक राम पहले ही घटनास्थल पर पहुँच चुका है। फिर वह दुबारा घटनास्थल की ओर दौड़ीं और वहाँ उन्होंने देखा कि अपीलकर्ताओं ने उनके पति की हत्या कर दी है। बाद में वे अपीलकर्ताओं के घर की ओर भागीं, जहाँ उनके पति मृत अवस्था में पड़े था। उसने अपने बयान में यह भी कहा है कि जमीन को लेकर कुछ विवाद था।उसने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि ज़मीन से संबंधित कुछ विवाद था। मलिक राम (अ.सा.-1) ने मुन्नी बाई (अ.सा.-7) की गवाही की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना के समय वह अपने खेत में था। उसकी भाभी ने उसे बुलाने के लिए उसका बच्चा भेजा, तो वह तुरंत घटनास्थल पर पहुँचा। जनकराम भी घटना स्थल के पास मौजूद था। उस समय अपीलकर्ता वहाँ नहीं थे। मृतक चैतराम का शव अपीलकर्ताओं के खलिहान में पड़ा था। वह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1321:DB

बुरी तरह घायल था और उसके शरीर पर स्पष्ट चोट के निशान थे और वह दम घुटने से मृत प्रतीत हो रहा था। इसके बाद वह (मलिक राम) थाना गया और प्राथमिकी दर्ज कराई। जनकराम साहू (अ.सा.-4) ने अपने बयान में कहा कि घटना के समय वह शौच के लिए खेत जा रहा था। जब वह अपीलकर्ताओं के घर के सामने से गुजर रहा था, उसने देखा कि अपीलकर्ता देवनाथ, मन्दाकिनी और परगन अपने आंगन में चैतराम पर हमला कर रहे थे।अपीलकर्ता देवनाथ कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, अपीलकर्ता मन्दाकिनी हंसिए से हमला कर रही थी, और मृतक अपीलकर्ता परगन लाठी से मार रहा था। चैतराम गिर गया, लेकिन वे लोग उस पर चोट पहुँचाते रहे। चैतराम को मारने के बाद अपीलकर्ता वहाँ से गूना गाँव की ओर भाग गए। उसी समय मलिक राम (अ.सा.-1) वहाँ आया और जनकराम ने उसे घटना की जानकारी दी।राजाराम (अ.सा.-5) ने भी उपरोक्त गवाहों की गवाही की पुष्टि की और कहा कि वह नवागाँव दाढ़ी बनाने जा रहा था, तभी उसने देखा कि अपीलकर्ता चैतराम पर कुल्हाड़ी, हंसिया और लाठी से हमला कर रहे थे। जब चैतराम गिर गया, तब भी अपीलकर्ता वहाँ से भाग निकले। वह चैतराम के घर गया और उसे घटना के बारे में बताया। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता देवनाथ कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था, अपीलकर्ता मन्दाकिनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1321:DB

हंसिए से और अपीलकर्ता परगन लाठी से हमला कर रहा था। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट कहा कि उसने स्वयं घटना होते देखी है।

13. दोषसिद्धि उपरोक्त गवाहों — मुन्नी बाई (अ.सा.-7) (मृतक की पत्नी), जनक राम (अ.सा.-4) और राजाराम (अ.सा.-5) — की गवाही पर आधारित है, जिसकी पुष्टि मलिक राम (अ.सा.-1) की गवाही से भी महत्वपूर्ण रूप से हुई है। इन गवाहों को बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया, लेकिन यह तथ्य कि अपीलकर्ता देवनाथ ने कुल्हाड़ी से चैतराम पर हमला किया, अपीलकर्ता मन्दाकिनी ने हंसिए से हमला किया और मृतक अपीलकर्ता परगन ने लाठी से हमला किया — उनकी गवाही में बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी जा सकी। अभियोजन ने यह भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि हथियारों की बरामदगी अपीलकर्ताओं के बताने पर की गई थी। अन्वेषण अधिकारी मदन सिंह (अ.सा.-9) ने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ता देवनाथ ने कुल्हाड़ी के बारे में खुलासा बयान प्र.पी./6 के तहत दिया, और जब उसने अपने घर से रक्तरंजित कुल्हाड़ी निकाली तो उसे प्र.पी./7 के तहत जब्त किया गया।अपीलकर्ता देवनाथ के कपड़े भी प्र.पी./8 के तहत जब्त किए गए।अपीलकर्ता मन्दाकिनी की रक्त से सनी साड़ी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1321:DB

प्र.पी./14 के तहत बरामद की गई। कुल्हाड़ी पर खून की मौजूदगी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट प्र.पी./13**A** के द्वारा पुष्टि की गई। समग्र रूप से देखा जाए तो दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों — मुन्नी बाई (अ.सा.-7), जनक राम (अ.सा.-4) और राजा राम (अ.सा.-5) — की गवाही पर आधारित है, जिसकी पुष्टि मलिक राम (अ.सा.-1) की गवाही ने भी की है।

14. जैसा कि **आशीष बाथम** (पुर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, आरोप सिद्ध होने तक निर्दोषता हमेशा अभियुक्त के पक्ष में रहती है। लेकिन वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही, जिन्होंने घटना को अपनी आँखों से देखा है, विश्वसनीय, भरोसेमंद और निर्भर करने योग्य है। इसलिए **आशीष बाथम (पुर्वोक्त)** का मामला, तथ्यों के आधार पर, इस मामले से भिन्न है और लागू नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. जहाँ तक हेतुक का संबंध है, प्रत्यक्ष प्रमाण वाले मामलों में मकसद का महत्व कम हो जाता है। फिर भी, हेतुक अपराध की प्रकृति, चोटों के

प्रकार, इस्तेमाल किए गए हथियार, शरीर पर चोट के स्थान और अन्य परिस्थितियों के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है।

16. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने हंसिया और कुल्हाड़ी का उपयोग किया। यह निर्विवाद है कि दोनों हथियार अत्यंत खतरनाक हैं और मृतक पर बार-बार गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। मृतक के शरीर पर कुल आठ चोटें पाई गईं। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ घटना अचानक गुस्से या आवेग में हुई हो। वर्तमान मामले में, चैतराम जब अपने खेत से लौट रहा था, तब अपीलकर्ता देवनाथ ने उसे बीड़ी पीने के बहाने अपने घर बुलाया, और उसके आते ही सभी अपीलकर्ताओं ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे **घातक चोटें** पहुँचाईं। ये घातक चोटें स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि अपीलकर्ताओं का मृतक चैतराम को मारने का गंभीर इरादा *था।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया।

2010:CGHC:1321:DB

18. उपरोक्त कारणों के आधार पर, हमारा विचार है कि दोषसिद्धि *कानूनी, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों* पर आधारित है, जो कानून के तहत स्थिर रखने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को सही रूप से दोषी ठहराया और दंडित किया है।हमें इस अपील में कोई भी सार्थक आधार नहीं दिखाई देता। अतः अपील *खारिज* की जाती है।अपीलकर्ता क्रमांक 3 — मन्दाकिनी — वर्तमान में जमानत पर है। उसे शेष सज़ा भुगतने हेतु *तुरंत* अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झनवार
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Yash Khare (Adv.)